फार्मेसी महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम मे प्रवेश के नियम

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अंर्तगत स्थापित फार्मेसी महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम की सीटों में प्रवेष हेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाते है–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ–

(क) ये नियम विश्वविद्यालय के फार्मेसी स्नातक प्रवेष नियम, 2016 कहलायेंगे।

(ख) सत्र 2019–20 मे बी फार्मेसी मे प्रवेश के लिए फार्मेसी स्नातक नियम 2016 मान्य होगा।

(ग) विश्वविद्यालय के फार्मेसी महाविद्यालयों की स्नातक पाठ्यक्रम की सीटों में प्रवेष, इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।

2. परिभाषायें– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हों,–

(क) ''प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है इन नियमों के अंतर्गत आयोजित प्रवेश परीक्षा,

(ख) ''एजेंसी'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत परीक्षा एजेंसी,

(ग) ''वास्तविक निवासी'' से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देष के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (प्रारूप–अनुसूचि–एक),

(घ) ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है इन चारों श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात्–''अनुसूचित जाति'',''अनुसूचित जनजाति'', ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' (गैर क्रीमीलेयर) तथा ''अनारक्षित'',

(ड) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है महिला, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तजन।

(च) ''सैनिक'' संवर्ग से अभिप्रेत है प्रतिरक्षा कार्मिकों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक तथा ऐसे प्रतिरक्षा कार्मिक जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गए हों और जो छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हों अथवा वर्तमान में (परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को या उसके पूर्व की तिथि से) छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो, के पुत्र/पुत्री (प्रमाणीकरण का प्ररूप–अनुसूची–दो)।

(छ) ''स्वतंत्रता संग्रम सेनानी'' संवर्ग से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी, जिनके दादा–दादी अथवा नाना–नानी का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्टोरेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्रम सेनानियों की सूची में सम्मिलित है (प्रमाणीकरण का प्रारूप–अनुसूची–तीन)।

(ज) ''निःशक्तजन'' संवर्ग से अभिप्रेत है ऐसा स्थायी निःशक्तजन, जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्व भागीदारी) अधिनियम,1995 (1996का सं. 1) की धारा 2 (झ) के अधीन परिभाषित शारीरिक रूप से निःशक्त की श्रेणी में आता हो।

(झ) ''बिना संवर्ग'' से अभिप्रेत है वे व्यक्ति, जो खण्ड 2 (ड.) में उल्लेखित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों।

(ञ) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है भारतीय फार्मेसी परिषद्।

(ट) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है विष्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित फार्मेसी महाविद्यालय।

(ठ) '' विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर।

(ड) ''कुलसचिव'' से अभिप्रेत है कुलसचिव छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर।

(ढ)''राज्य शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

(ण) ''अंतिम प्रवेश प्रक्रिया'' से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत प्रवेष हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् रिक्त रह गई सीटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की तिथि में की गई प्रकिया, जिसमें अभ्यर्थी को आबंटन स्थल पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

3. सामान्यः–

(क) स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम/ प्रवेश परीक्षा, आबंटन प्रवेश, विश्वविद्यालय, भारत सरकार/राज्य सरकार/ महाविद्यालय की स्वायत्त सोसायटी के तत्समय लागू नियमों एवं विनियमों द्वारा षासित एवं विनियमित होंगे।

(ख) स्नातक पाठ्यक्रम, प्रवेश की तिथि से विश्वविद्यालय / भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित पूर्णकालिक अवधि के पाठ्यक्रम ह्येगें।

(ग) अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक सही जानकारी देना एवं प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदक, प्रपत्र भरने से पूर्व वे नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें और पूर्ण एवं सही आवश्यक जानकारी भरें एवं आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें, ऐसा करने में विफल होने पर, आवेदक, प्रवेश परीक्षा, आबंटन एवं प्रवेश आदि के हकदार नहीं होंगे।

(घ) प्रत्येक अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के नियमों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ड) श शासन द्वारा समय–समय पर संबंधित महाविद्यालयों के लिए जारी किए गए सभी निर्देष लागू होंगे।

4. पात्रताः– केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो और जिसने परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतक 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

तथा

(क) अभ्यर्थी ने अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिक एवं रसायन तथा गणित/जीव–विज्ञान में 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर उत्तीर्ण की हो। अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिषत एवं छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा।

(ख) तीनों मुख्य विषयों में जैसेः– भौतिकी, रसायन एवं गणित/जीव–विज्ञान विषय में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में) पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ग) 12वीं में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

टीपः–

1. यदि वह संबंधित बोंर्ड के नियमानुसार यदि कृपांक (Grace) से भी उत्तीर्ण घोषित किया गया हो तो वह प्रवेश पात्र माना जायेगा। तथापि प्राप्तांक की गणना करते समय कृपांक (Grace) के अंक को नहीं जोड़ा जाएगा।
2. रजिस्ट्रार, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र कं. 14-/2015-PCI(A)/17504-19512,2015 के अनुसार बी./डी. फार्मेसी पाठ्क्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ओपन स्कूल से 10+2 वीं उत्तीर्ण भी प्रवेश के पात्र होंगे।

5. सीटो का आरक्षणः–

(क) प्रत्येक महाविद्यालय की कुल सीटों की कुल सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयेर) के लिये 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

(ख) सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु 3 प्रतिशत, निःशक्तजन संवर्ग हेतु 6 प्रतिशत एवं महिला संवर्ग हेतु 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा।

टीपः– निःशक्तजन संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों को निम्नानुसार भरा जायेगाः–

(अ) सबसे पहले सीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगो की स्थाई लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इस प्रकार नहीं भरे गये सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की निचले अंगो की स्थाई लोकोमोटर अशक्तताावाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ब) निम्नलिखित अशक्ततायें (निःशक्तता) पात्र नहीं हैः–

(1) ऊपरी अंग निःशक्तता,

(2) दृष्टिबाधित निःशक्तता,

(3) बधिरीय निःशक्तता,

(4) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक निशक्तजन,

(5) काउंसिलिंग के समय 3 माह से अधिक पुराना पात्रता प्रमाण पत्र (राज्य मेडिकलबोर्ड द्वारा जारी)

6. सीटों का विवरण :–(अ) यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी रायपुर

	UR (42%) 25	ST (32%) 19	SC (12%) 07	OBC (14%) 09	Total (100%) 60
No Class	13	10	05	06	34
FF- 3%	1	1	0	0	02
S- 3%	1	1	0	0	02
PH- 6%	2	1	0	1	04
Female- 30%	8	6	2	2	18
Total	25	19	07	09	60

7. चयन प्रकिया :–

(क) प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन :–

(क) शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए छात्रों का प्रवेश छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्री फार्मेसी टेस्ट (PPHT) 2019 के अंको के आधार पर मेरिट कम बनाकर प्रवेश की प्रकिया सम्पन की जायेगी।

(1) प्रवेश परीक्षा हेतु एजेंसी द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

(3) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पष्चात जारी किये हुए मूल दस्तावेज मान्य नही होंगे।

(4) ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ठ की हुई पात्रता संबंधी जानकारी जैसे मूल निवासी, आरक्षण श्रेणी व संवर्ग (महिला, निःषक्तजन) मे चयन उपरांत परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(ख) परीक्षा परिणामः

एजेंसी तीनों मुख्य विषयों (PCB/PCM)को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःषक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के कुल अंको के आधार सभी अभ्यर्थियों की श्रेणीवार प्रावीण्य सूची, और अंक सूची घोषित करेगी जिसमें अंको के अतिरिक्त जन्म तिथि, विकलांगता प्रतिषत और संवर्ग भी दर्षित होंगे। उपरोक्तानुसार तैयार प्रावीण्य सूची में से पात्र अभ्यर्थियों की सूची एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय, को प्रेषित की जायेगी।

प्रावीण्य सूची में नियम 4 के अनुसार पात्र अभ्यर्थी ही सम्मिलित किये जायेंगे उपलब्ध सीटों पर प्रावीण्य सूची के अनुक्रम अनुसार नियम 7 के अनुरूप काउंसिलिंग के द्वारा पात्र अभ्यर्थी को महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा।

8. काउंसिलिंग प्रकियाः–

फार्मेसी महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों की उपलब्ध सीटों में प्रवेश के लिये प्रावीण्य सूची के आधार पर विश्विद्यालय द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन काउंसिलिंग निम्नानुसार, की जायेगीः–

(क) प्रावीण्य सूची घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा दो चरणों में काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्समय प्रकाशित (घोषित) की जायेगी।

(ख) काउंसिलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आबंटन, मूल दस्तावेजो की संवीक्षा एवं आबंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होगी।

पंजीयन, एवं प्राथमिकता क्रम का निर्धारण,

(1) काउंसिलिंग पंजीयन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक उपरोक्तानुसार मूल जानकारी नहीं दिये जाने पर अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रकिया हेतु अपात्र होगा। पंजीयन की अंतिम तिथि के पश्चात् जारी किये हुए मूल दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। उक्त तिथि तक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दायित्व पूर्णरूपेण अभ्यार्थी का होगा।

(2) काउंसिलिंग शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु राशि रूपये 1000/– तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति रू. 500/– कुलसचिव, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विष्वविद्यालय को देय होगा।

(3) पंजीयन की प्रकिया मात्र प्रथम काउंसिलिंग के समय उपलब्ध होगी। काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के समय ही पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

(4) काउंसिलिंग हेतु पंजीयन करने की अंतिम तिथि तक जिन अभ्यार्थीयो ने पंजीयन नहीं कराया है, वे काउंसिलिंग हेतु स्वयमेय अपात्र होगें।

(5) वेबसाइट पर जारी काउंसिलिंग की समय सारणी के अनुरूप, अभ्यार्थी को समस्त जानकारी भरकर देना होगा,

(6) अंतिम तिथि तक जिन अभ्यर्थियों ने पंजीयन नहीं भरा है वे काउंसिलिंग हेतु पात्र नही होगे।

आबंटन एवं प्रवेश–

(क) प्रावीण्य सूची के अनुसार महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा।

(ख) आबंटन होने के पश्चात्, अभ्यर्थियों को आबंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजो की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। आबंटन पश्चात संस्था में संवीक्षा हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी चालू शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग व प्रवेश प्रकिया से स्वयमेव बाहर हो जायेगा। (ग) सभी अभ्यर्थी किसी भी समय काउंसिलिंग प्रकिया से बाहर जाने का विकल्प दे सकते है।

(ग) वे अभ्यर्थी जो प्रवेश लेने के लिए का चयन करते हैं उन्हें वेबसाइट से आबंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी अनुरूप आबंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेष प्रकिया पूर्ण कराना होगा।

महाविद्यालय में प्रवेश प्रकिया

(एक) महाविद्यालय के द्वारा, अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने पर दस्तावेजो ं की संवीक्षा पश्चात् चिकित्साकीय परीक्षण कराया जायेगा।

(दो) दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सकीय परीक्षण मे अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

(तीन) यदि उल्लिखित उपरोक्त प्रक्रिया मे विफल हो जाते है तो वे चालू शैक्षणिक सत्र के लिये प्रवेश प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर दिये जायेंगें।

(चार) समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए, निर्धारित तिथि के भीतर अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा तथा तद् द्वारा आबंटित महाविद्यालय मे प्रवेश लेना होगा।

(पॉच) जमा की गई शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

(छः) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा।

(ग) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग – काउंसिलिंग प्रक्रिया मे बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियो को, प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठयक्रम एवं महाविद्यालय का द्वितीय चरण में आबंटन किया जायेगा।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों मे विज्ञापन कर अथवा विश्वविद्यालय के वेबासाइट पर अथवा अन्य प्रचलित तथा विद्यमान संचार माध्यमों से सफल/पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु उनके स्वयं के व्यय पर आमंत्रित किया जाएगा। सूचना प्राप्त नही होने पर, अभ्यर्थी स्वयं विश्वविद्यालय के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा सूचना या जानकारी न मिलने की स्थिति में विश्वविद्यालय जिम्मेदार नही होगा।

9– आरक्षित सीटों का अन्य आरक्षित श्रेणी/अनारक्षित श्रेणी मे परिवर्तन/अंतरण–

(1) किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को परिवर्तन/अंतरण छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश मे आरक्षण) अधिनियम 2012 (क्र. 9 सन् 2012) मे निहित प्रावधानो के अनुरूप किया जायेगा।

(2) आरक्षित श्रेणी के किसी भी संवर्ग मे प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटो को पहले उसी संवर्ग की अन्य श्रेणियो में परिवर्तित कर दिया जायेगा। उसी संवर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर मूल श्रेणी के बिना संवर्ग मे परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) संवर्ग /श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया मे संवर्ग परिवर्तन पहले होगा फिर श्रेणी परिवर्तन होगा।

10– अंतिम प्रवेश प्रक्रिया

द्वितीय चरण के काउंसिलिंग द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि तक रिक्त रह गई सीटों के लिए अंतिम प्रवेश प्रक्रिया से प्रत्यक्ष काउंसिलिंग की जायेगीं। अंतिम प्रवेश प्रक्रिया में सर्वप्रथम इन रिक्त सीटों में अपग्रेड प्रक्रिया प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में की जायेगी,जिसमें ऐसे सभी अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे,जिन्होंने आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेश लिया है। इसके पश्चात् रिक्त रह गई सीटों का प्रदर्शन किया जायेगा।

अंतिम प्रवेश प्रक्रिया में पूर्व से पंजीकृत अभ्यार्थी ही पात्र होगें जिन्हे इस प्रक्रिया हेतु स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तथा अभ्यर्थी को आबंटन स्थल पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना होगा।

11— प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात्/फार्मेसी पाठ्यक्रम के मध्य अवधि में सीट परित्याग हेतु आर्थदण्ड बंधपत्र—

(क) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् अथवा फार्मेसी पाठयक्रम के मध्य से सीट का परित्याग करने के स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये रू. 1,20,000/—एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये रू. 60,000/— होगी।

(ख) प्रवेशित अभ्यर्थी यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि पूर्व सीट का परित्याग करता है तो जमा की गई शुल्क में से आदेशिका शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) के रूप में 5000/— रू. काटकर शेष राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जायेगी।

12— प्रवेश रद्द करना— यदि यह पाया जाए कि कोई अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश लेने मे सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूक से प्रवेश मिल गया है, तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश महाविद्यालय प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका की स्थिति में, कुलसचिव, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सभी संबधित लोगो पर बंधनकारी होगा।

13— कठिनाइयों का निराकरण— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति मे विश्वविद्यालय उसके निराकरण हेतु आदेश जारी कर सकेगा।

14— प्रावीण्य सूची की समाप्ति— प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्रावीण्य सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट/सीटें कालातीत हो जायेगी।

कुलसचिव